

एन. के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति, के समक्ष  
आयकर अधिकारी, कैथल-याचिकाकर्ता  
बनाम

अचल सिंह,-प्रतिवादी

सीआरएल। एम. नं. 1991 का 9059-एम

9 अक्टूबर, 1998

आय कर अधिनियम, 1961-एस. 250, 254, 271, 273, 273-ए और 279-आय को छिपाने के लिए निर्धारिती पर लगाया गया जुर्माना-धारा 254 के तहत अपील दायर करने वाला निर्धारिती-जुर्माना कम करने वाला आयुक्त-आय को छिपाने के लिए निर्धारिती पर मुकदमा चलाना।

अभिनिर्धारित किया कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें निर्धारिती ने आयुक्त के समक्ष कोई आवेदन दायर किया हो, जिसमें निर्धारण अधिकारी द्वारा उस पर लगाए गए जुर्माने की राशि को कम करने या माफ करने की मांग की गई हो। दूसरी ओर, निर्धारिती ने एक अपील दायर की थी जिसकी सुनवाई अपीलीय सहायक आयुक्त ने की थी और अधिनियम की धारा 250 के तहत आदेश पारित किया गया था। मामले के इस दृष्टिकोण में, धारा 279 की उप धारा (1 ए) बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होती है क्योंकि यह आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 273 ए के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जुर्माने की राशि में कमी या छूट का मामला नहीं था।

(पैरा 13)

आर. पी. साहनी, याचिकाकर्ताओं के लिए श्री राजेश बिंदल, अधिवक्ता के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता।

उत्तरदाता के लिए निमो।

आदेश

एन. के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति

(1) एक क्रिमिनल शिकायत आर. के. कुच्छल, आय-कर अधिकारी, कैथल द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुरुक्षेत्र के न्यायालय में अजपाल सिंह के खिलाफ की गयी। यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, "अधिनियम") के तहत एक निर्धारिती होने के नाते, रुपये की आय को छुपाया। 40, 000/- मूल्यांकन वर्ष 1982-83 में शिकायत में अधिनियम की धारा 276 सी और 277 के तहत अपराधों का उल्लेख किया गया था।

(2) अभियुक्त-निर्धारिती ने एक मैटाडोर वैन खरीदी। मूल्यांकन अधिकारी ने मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान, निवेश के स्रोत के बारे में निर्धारिती से स्पष्टीकरण मांगा। निर्धारिती संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सका। मूल्यांकन कार्यालय!-, रुपये पर आयकर लगाने के बाद। निर्धारिती की अस्पष्टीकृत आय के रूप में 40,000, आय को छिपाने के लिए भी जुर्माना लगाने के लिए आगे बढ़े। एक लाख रुपये का जुर्माना। अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) के तहत 15,000 का जुर्माना लगाया गया था।

(3) निर्धारिती ने मूल्यांकन आदेश के खिलाफ एक अपील दायर की, जिसमें रुपये को जोड़ने को चुनौती दी गई। 40, 000 उनकी आय में। अपीलीय सहायक आयुक्त ने रुपये की अतिरिक्त राशि को कम कर दिया। 25, 000। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेश की पुष्टि की।

(4) कुरुक्षेत्र के विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आयकर अधिकारी एस. एस. थिंड और शिकायतकर्ता आर. के. कुच्छल का भी बयान दर्ज किया। इसके बाद विद्वत मजिस्ट्रेट \* ने

निर्धारित-अभियुक्त को इस आधार पर आरोपमुक्त कर दिया कि अपील में जुर्माने की राशि में कमी के बाद, अधिनियम की धारा 279 की उप-धारा (1 ए) में निहित प्रावधानों को देखते हुए अभियोजन आगे नहीं बढ़ सका।

(5) शिकायतकर्ता ने कुरुक्षेत्र के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित 11 अगस्त, 1990 के आरोपमुक्त करने के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की। कुरुक्षेत्र के विद्वान सत्र न्यायाधीश ने 16 फरवरी, 1991 के आदेश द्वारा पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।

(6) यह याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर की गई है, जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुरुक्षेत्र द्वारा पारित आरोपमुक्त करने के आदेश को चुनौती दी गई है।

(7) याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील श्री आर. पी. साहनी को सुना गया है। प्रतिवादी के वकील श्री जे. के. गोयल ने उपस्थित होने का विकल्प नहीं चुना है।

(8) श्री आर. पी. साहनी ने तर्क दिया है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को गलत तरीके से आरोपमुक्त कर दिया है।

अधिनियम की धारा 1279 (1 ए) का गलत दृष्टिकोण। उनका तर्क है कि, उपरोक्त प्रावधान के तहत, अभियोजन समाप्त हो जाएगा यदि निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माने की राशि को अधिनियम की धारा 273 ए के उल्लंघन के आदेश द्वारा कम या माफ कर दिया जाता है। अभियुक्त-निर्धारित के मामले में, अधिनियम की धारा 273 ए के तहत आयकर आयुक्त द्वारा जुर्माने की राशि को कम या माफ नहीं किया गया था।

(9) यह धारा 3 की उप धारा (1) और अधिनियम की धारा 279 की उप धारा (1 ए) के लिए भी प्रासंगिक होगा:—

**धारा 273 ए:**

सजा को कम करने या माफ करने की शक्ति, ई. टी. सी., निश्चित मामलों में:

(1) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, आयुक्त अपने विवेकाधिकार पर, चाहे वह अपने प्रस्ताव पर हो या अन्यथा, -

(i) धारा 271 की उप-धारा (1) के खंड (i) के तहत किसी व्यक्ति पर लगाए गए या अधिरोपणीय जुर्माने की राशि को कम करना या माफ करना, बिना किसी उचित कारण के, कुल आय की विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए, जिसे उसे धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी; या

(ii) धारा 271 की उप-धारा (1) के खंड (iii) के तहत किसी व्यक्ति पर लगाए गए या लगाए जाने योग्य दंड की राशि को कम या माफ करना; (या)

(iii) धारा 139 या धारा 215 या धारा 217 की उप-धारा (8) के तहत भुगतान या देय ब्याज की राशि या धारा 273 के तहत लगाए गए या लगाए जाने वाले जुर्माने को कम या माफ कर दें।

यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा व्यक्ति -

(a) खंड (i) में निर्दिष्ट मामले में, धारा 139 की उप-धारा (2) के तहत उसे नोटिस जारी करने से पहले, स्वेच्छा से और सद्भावना से अपनी आय का पूर्ण और सही खुलासा किया गया है।

(b) खंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में, (निर्धारण) अधिकारी द्वारा पता लगाने से पहले,

आय या आय के विवरणों को छिपाया गया है।

ऐसी आय के संबंध में प्रस्तुत किए गए विवरणों की अशुद्धता, जो स्वेच्छा से सद्भावना में होती है, ऐसे विवरणों का पूर्ण और सही प्रकटीकरण किया जाता है;

- (c) खंड (iii) में निर्दिष्ट मामले में, धारा 139 की उप-धारा (2) के तहत उसे नोटिस जारी करने से पहले, या जहां ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है और ऐसी नोटिस जारी करने की अवधि समाप्त हो गई है, धारा 148 के तहत उसे नोटिस जारी करने से पहले, स्वेच्छा से और सद्भावना से अपनी आय का पूरा और सही खुलासा किया है और इस तरह से प्रकट की गई आय पर कर का भुगतान किया है।

और खंड (ख) में निर्दिष्ट मामले में अपनी आय के निर्धारण से संबंधित किसी भी जांच में सहयोग किया है और संबंधित निर्धारण वर्ष के संबंध में इस अधिनियम के तहत पारित आदेश के परिणामस्वरूप देय किसी भी कर या ब्याज के भुगतान के लिए या तो संतोषजनक व्यवस्था की है।

स्पष्टीकरण-इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने अपनी आय या उससे संबंधित विवरणों का पूर्ण और सही प्रकटीकरण किसी भी मामले में किया है, जहां वापस की गई आय पर निर्धारित आय की अधिकता ऐसी प्रकृति की है जो धारा 271 की उप-धारा (1) के खंड (सी) के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करती है।”

(1) XX XX XX XX  
XX XX XX XX

- (1 ए) किसी व्यक्ति के खिलाफ उस निर्धारण वर्ष के निर्धारण के संबंध में धारा 276 सी या धारा 277 के तहत किसी अपराध के लिए कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसके संबंध में धारा 271 की उप-धारा (1) के खंड (iii) के तहत उस पर लगाया गया या लगाया जाने वाला जुर्माना धारा 273 ए के तहत एक आदेश द्वारा कम या माफ कर दिया गया है।

(2) XX XX XX XX

(3) XX XX XX XX

(10) उपरोक्त प्रावधानों के मध्यनजर रखते हुए यह प्रतीत होता है की धारा 279 की उप-धारा (1 ए) लागू होती है, जहां धारा 271 के तहत किसी निर्धारिती पर लगाया गया जुर्माना या तो कम किया जाता है या अधिनियम की धारा 273 ए के तहत एक आदेश द्वारा माफ कर दिया जाता है। वर्तमान निर्धारिती के मामले में, अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा आदेश पारित किया गया था। अधिनियम की धारा 250 के तहत निर्धारिती की अपील पर। न्यायाधिकरण के समक्ष दायर आगे की अपील का भी अधिनियम की धारा 254 के तहत निपटारा किया गया। इस प्रकार, न तो अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा पारित अपीलीय आदेश और न ही आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा आदेश अधिनियम की धारा 273 ए के तहत एक आदेश था।

(11) धारा 273 ए के तहत एक आदेश आयकर आयुक्त द्वारा पारित किया जाता है और जुर्माने की राशि को कम या माफ कर दिया जाता है जहां आयुक्त को संतुष्ट किया जाता है कि निर्धारिती ने आय के विवरणों को छिपाने का पता लगाने से पहले स्वेच्छा से और सद्भावना से आय के विवरणों का पूर्ण और सही प्रकटीकरण किया था।

(12) निर्धारिती की अपील में पारित अपीलीय सहायक आयुक्त का आदेश, ऊपर उल्लिखित संतुष्टि के बाद आयुक्त द्वारा पारित आदेश की प्रकृति में नहीं है। पहला अपीलीय आदेश धारा 250 के तहत और दूसरा अपीलीय आदेश अधिनियम की धारा 254 के तहत पारित किया

गया था।

(13) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निकाला गया निष्कर्ष गलत और अस्थिर पाया गया है। यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें निर्धारिती ने आयुक्त के समक्ष कोई आवेदन दायर किया हो, जिसमें निर्धारण अधिकारी द्वारा उस पर लगाए गए जुर्माने की राशि को कम करने या माफ करने की मांग की गई हो। दूसरी ओर, निर्धारिती ने एक अपील दायर की थी जिसकी सुनवाई अपीलीय सहायक आयुक्त ने की थी और अधिनियम की धारा 250 के तहत आदेश पारित किया गया था। मामले के इस दृष्टिकोण में, धारा 279 की उप-धारा (1 ए) बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होती है क्योंकि यह आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 273 ए के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जुर्माने की राशि में कमी या छूट का मामला नहीं था।

(14) केरल उच्च न्यायालय ने एक बार फ्रेंड्स यूनियन ऑयल मिल्स और अन्य बनाम आयकर अधिकारी और अन्य<sup>1</sup> मामले में इसी तरह के मामले की जांच की थी। वहाँ भी, अधिनियम की धारा 271 (4 ए) के तहत दंड को अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा कम किया गया था न कि आयुक्त द्वारा। अतः यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 279 (1 ए) द्वारा प्रदत्त लाभ निर्धारिती के लिए उपलब्ध नहीं था।

(15) इसी तरह का दृष्टिकोण इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा डॉ. डी. एन. मुंशी बनाम एन. बी. सिंह<sup>2</sup> में लिया गया है। वहाँ भी, निर्धारिती पर अधिनियम की धारा 277 के तहत मुकदमा चलाया गया था। उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा इस आधार पर कि यदि आयुक्त धारा 271 की उप धारा (4 ए) के तहत निर्धारिती पर लगाए जाने वाले जुर्माने को माफ कर देता है तो अधिनियम की धारा 279 (1 ए) के तहत निर्धारिती के खिलाफ मुकदमा चलाने या जारी रखने पर रोक थी। अदालत द्वारा यह देखा गया कि जुर्माना लगाने के खिलाफ निर्धारिती की अपील को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अनुमति दी गई थी, जो धारा 271 (4 ए) के तहत कार्य नहीं करता था। इसलिए, निर्वहन का आदेश टिकाऊ नहीं माना गया था।

(16) परिणाम में वर्तमान याचिका, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुरुक्षेत्र की अनुमति के साथ-साथ विद्वान सत्र न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है। इस मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुरुक्षेत्र को एक निर्देश के साथ भेजा जाता है कि जिस स्तर पर यह आरोपमुक्त करने के आदेश की तारीख पर था, उस स्तर से मामले में कानून के अनुसार आगे बढ़े। एस. के.

**अस्वीकरण :** स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यन्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

डा० सुशीला  
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी  
(Trainee Judicial Officer)  
रोहतक, हरियाणा

1 106 आई. टी. आर. 517

2 112 आई. टी. आर. 173

